NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 19-02-2026

विषय सूची

भारत ने सार्वभौमिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल प्रस्तुत किए

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से 'नस्लीय अपमानजनक टिप्पणी' को घृणा अपराध (Hate Crime) के रूप में मान्यता देने की याचिका पर विचार करने का अनुरोध

सैन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षा मानकों की तात्कालिक आवश्यकता

भारत का ड्रोन पारितंत्र

संक्षिप्त समाचार

स्नोबॉल अर्थ

ईरान द्वारा होरमुज़ जलडमरूमध्य बंद

ओडिशा में FRA सेल्स का बंद होना केंद्र की जाँच को प्रेरित करता है

VoicERA का शुभारंभ BHASHINI राष्ट्रीय अवसंरचना पर

भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

नगरपालिका बॉन्ड्स

प्रोजेक्ट वॉल्ट

भिर्राना स्थल

केरल कैबिनेट द्वारा मूलनिवासी कार्ड जारी करने के विधेयक को स्वीकृति प्रदान

भारत ने सार्वभौमिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल प्रस्तुत किए

संदर्भ

- बेंगलुरु-स्थित स्टार्टअप **सर्वम AI** ने दो उन्नत बड़े भाषा मॉडल (LLMs) प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से **"विक्रम"** नाम दिया गया है, और यह घोषणा *AI इम्पैक्ट समिट* में की गई।
    - इसी समय, वैश्विक कंपनियाँ जैसे **Nvidia** और **OpenAI** ने भारतीय उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी की घोषणा की है ताकि देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारितंत्र का विस्तार किया जा सके।

सर्वम AI क्या है?

- **सर्वम AI** एक भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप है जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं और संदर्भों पर आधारित उन्नत बड़े भाषा मॉडल (LLMs) विकसित करना है।
- यह ऐसे आधारभूत AI सिस्टम बनाने का प्रयास करता है जो वैश्विक मॉडलों के तुल्य हों, किंतु भारत के बहुभाषी वातावरण के लिए अनुकूलित हों।

सर्वम AI मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ

- **भारत-विशिष्ट समस्या समाधान:** यह प्रणाली भारतीय प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के अनुरूप तैयार की गई है।
    - इसने भारतीय लिपियों से संबंधित दस्तावेज़ प्रसंस्करण और वाक् पहचान जैसे कार्यों में सुदृढ़ प्रदर्शन प्रदर्शित किया है।
- **बहु-आयामी क्षमताएँ:** सर्वम AI ऐसे मॉडल विकसित कर रहा है जो पाठ, वाक् और दृश्य समझ को एकीकृत करते हैं।
    - ये क्षमताएँ शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल सेवाओं में अनुप्रयोगों को सक्षम बनाती हैं।
- **ऑफ़लाइन और एज AI की संभावना:** कंपनी ने ऐसे एज मॉडल प्रस्तुत किए हैं जो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले उपकरणों पर भी चल सकते हैं।
    - ऐसे सिस्टम स्थानीय स्तर पर अनुवाद, वाक्-से-पाठ और अन्य AI कार्यों का समर्थन करते हैं, जिससे क्लाउड अवसंरचना पर निर्भरता कम होती है।

सार्वभौम AI

- इसका आशय है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों का विकास स्थानीय रूप से नियंत्रित अवसंरचना, डेटा और विशेषज्ञता के माध्यम से किया जाए। इसमें डेटा संग्रहण, मॉडल प्रशिक्षण से लेकर परिनियोजन और शासन तक की संपूर्ण जीवनचक्र प्रक्रिया सम्मिलित होती है।
- यह *"भारत-प्रथम"* दृष्टिकोण अमेरिकी/चीनी प्लेटफ़ॉर्मों पर निर्भरता को कम करता है और डेटा गोपनीयता, सांस्कृतिक प्रासंगिकता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बड़े भाषा मॉडल (LLMs)

- एक बड़ा भाषा मॉडल (LLM) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एल्गोरिथ्म का प्रकार है जो गहन शिक्षण तकनीकों और अत्यधिक बड़े डेटा सेट का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य सामग्री को समझना, संक्षेपित करना, उत्पन्न करना तथा नई सामग्री का पूर्वानुमान करना है।
- गहन शिक्षण असंरचित डेटा का प्रायिक विश्लेषण करता है, जिससे मॉडल बिना मानवीय हस्तक्षेप के विभिन्न सामग्रियों के बीच अंतर पहचानने में सक्षम होता है।
- यह समझने में सहायता करता है कि अक्षर, शब्द और वाक्य एक साथ कैसे कार्य करते हैं।

सार्वभौम AI विकास के लाभ

- **प्रौद्योगिकीय और आर्थिक प्रभाव:** स्वदेशी AI विकास नवाचार को प्रोत्साहित करता है, स्टार्टअप पारितंत्र को सुदृढ़ करता है और उच्च-कौशल रोजगार अवसर उत्पन्न करता है।
    - विभिन्न क्षेत्रों में AI अपनाने से उत्पादकता और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो सकती है।
- **मानव पूंजी निर्माण:** शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षण प्लेटफ़ॉर्मों में AI उपकरणों का एकीकरण भारत की

विशाल युवा जनसंख्या को भविष्य-उन्मुख कौशल प्रदान करता है, जिससे जनसांख्यिकीय लाभ सुदृढ़ होता है।

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** घरेलू AI मॉडल विदेशी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और अवसंरचना पर निर्भरता को कम करते हैं, जिससे डेटा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण बढ़ता है।
- **शासन अनुप्रयोग:** बहुभाषी AI सार्वजनिक सेवा वितरण, स्वास्थ्य निदान, कृषि परामर्श प्रणाली, जलवायु मॉडलिंग और शहरी नियोजन में सुधार कर सकता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है।
- **डिजिटल समावेशन:** भाषा-केंद्रित AI प्रणालियाँ गैर-अंग्रेज़ी भाषी लोगों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-शासन प्लेटफ़ॉर्मों में व्यापक भागीदारी संभव होती है।

आगामी चुनौतियाँ

- उन्नत सेमीकंडक्टर और कंप्यूटिंग अवसंरचना तक सतत पहुँच
- बड़े, उच्च-गुणवत्ता वाले बहुभाषी डेटा सेट की उपलब्धता
- कुशल AI शोधकर्ताओं और इंजीनियरों की आवश्यकता
- पक्षपात, भ्रामक जानकारी और डेटा गोपनीयता से संबंधित नैतिक चिंताएँ
- स्थापित वैश्विक AI नेताओं से प्रतिस्पर्धा

निष्कर्ष

- **विक्रम मॉडल** भारत के लिए स्थानीय भाषाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आधारभूत AI क्षमताओं के विकास की दिशा में एक ठोस कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इनका सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर परिनियोजन यह निर्धारित करेगा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है या विदेशी प्लेटफ़ॉर्मों पर निर्भर बना रहेगा।

स्रोत: TH

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार से 'नस्लीय अपमानजनक टिप्पणी' को घृणा अपराध(Hate Crime) के रूप में मान्यता देने की याचिका पर विचार करने का अनुरोध

संदर्भ

- भारत के मुख्य न्यायाधीश एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें 'नस्लीय अपमानजनक टिप्पणी' को घृणा अपराध की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देने हेतु व्यापक दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी।
  - न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल **आर. वेंकटरमणि** से याचिका पर विचार करने और इसे उपयुक्त प्राधिकरण को संदर्भित करने का अनुरोध किया।

घृणा अपराध क्या हैं?

- घृणा अपराध वे अपराध हैं जो किसी व्यक्ति को उसकी विकलांगता, नस्ल या जातीयता, धर्म या विश्वास, यौन अभिविन्यास, लैंगिक पहचान आदि के प्रति शत्रुता या पूर्वाग्रह के कारण लक्षित करते हैं।
- भारत में "घृणा अपराध" शब्द को कानून में अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु ऐसे कृत्य भारतीय दंड संहिता (IPC) और अब **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडनीय हैं।

घृणा अपराधों का प्रभाव

- **सामाजिक मुद्दे:** यह समुदायों के बीच विभाजन को गंभीर करता है और दीर्घकालिक सामाजिक एकता को बाधित करता है। बार-बार होने वाले घृणात्मक कथानक भीड़ हिंसा, दंगे और लक्षित हमलों में परिवर्तित हो जाते हैं।
- **संवैधानिक मूल्यों का क्षरण:** यह संविधान में निहित समानता, बंधुत्व और गरिमा के सिद्धांतों को चुनौती देता है।
  - यह धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है, जो भारत की संवैधानिक नैतिकता का एक प्रमुख स्तंभ है।
- **भय और हाशियाकरण:** बार-बार घृणा घटनाओं का शिकार होने वाले समुदाय भय, बहिष्कार और अवसरों तक सीमित पहुँच का अनुभव करते हैं, जिससे सामाजिक सद्भावना को हानि पहुँचती है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता:** सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध:** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है।
- **अनुच्छेद 19(2):** भारतीय संविधान का यह प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जा सकने वाले युक्तिसंगत प्रतिबंधों से संबंधित है।
  - जिन परिस्थितियों में राज्य भाषण को प्रतिबंधित कर सकता है: राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना।
- **अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार:** गरिमा, सुरक्षा और संरक्षा के साथ जीने का अधिकार सुनिश्चित करता है।
- **अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता:** अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन, आचरण एवं प्रचार सुनिश्चित करता है।

घृणा भाषण से निपटने में चुनौतियाँ

- **तेज़ डिजिटल प्रसार:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म घृणा भाषण को तीव्रता से फैलने और बिना तथ्य-जांच के बड़े दर्शकों तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं।
- **एन्क्रिप्टेड संदेश सेवाएँ:** निगरानी और साक्ष्य संग्रहण को जटिल बनाती हैं।
- **प्रयोजन को सिद्ध करने में कठिनाई:** कई घृणा भाषण अपराधों में प्रयोजन को सिद्ध करना आवश्यक होता है, जो स्थापित करना कठिन है।
- **भाषण और हिंसा के बीच सीधा संबंध स्थापित करना:** कानूनी रूप से जटिल है।
- **कानूनी परिभाषा का अभाव:** भारत में घृणा भाषण और अपराध की सटीक वैधानिक परिभाषा का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक व्याख्या एवं राज्यों में असंगत प्रवर्तन होता है।

घृणा अपराधों से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय दंड संहिता (IPC) / भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023:** धारा 153A, धारा 295A आदि जैसी विशिष्ट धाराएँ समूहों (धर्म, नस्ल, भाषा) के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या सार्वजनिक भय/अव्यवस्था भड़काने को अपराध घोषित करती हैं।
- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3), 123(3A):** चुनावों के दौरान घृणा फैलाने या धर्म, जाति, समुदाय का हवाला देने वाले राजनीतिक भाषणों को निषिद्ध करती हैं।
- **प्रवासी कल्याण संगठन बनाम भारत संघ (2014):** सर्वोच्च न्यायालय ने घृणा भाषण पर विशिष्ट कानून की कमी को स्वीकार किया और संसद को इस मुद्दे पर व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की।
- **अमिश देवगन बनाम भारत संघ (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और सार्वजनिक व्यवस्था व सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु घृणा भाषण पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता के बीच संतुलन पर विचार किया।

आगे की राह

- भारत को घृणा भाषण और अपराध की स्पष्ट एवं व्यापक कानूनी परिभाषा अपनानी चाहिए ताकि राज्यों में एकरूप एवं वस्तुनिष्ठ प्रवर्तन सुनिश्चित हो सके।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के लिए सुदृढ़ जवाबदेही तंत्र आवश्यक है ताकि वे हानिकारक सामग्री को शीघ्रता से हटा सकें।
- ऑनलाइन हानियों के लिए स्वतंत्र निगरानी तंत्र, बेहतर डेटा संग्रहण और अनुसंधान के साथ मिलकर साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों को डिज़ाइन करने में सहायता कर सकता है और भारत की समानता, गरिमा एवं सामाजिक एकता के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ कर सकता है।

स्रोत: TH

सैन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सुरक्षा मानकों की तात्कालिक आवश्यकता

संदर्भ

- भारत ने युद्ध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को नियंत्रित करने संबंधी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने से असहमति व्यक्त की। यह निर्णय *जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सैन्य क्षेत्र (REAIM)* पर आयोजित तीसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में लिया गया।

परिचय

- लगभग एक-तिहाई सहभागी देशों ने 'पाथवेज़ टू एक्शन' घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन उन देशों में शामिल थे जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए।
- विगत शिखर सम्मेलन में 60 देशों ने कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे।
  - इस वर्ष, यह संख्या काफी घटकर केवल 85 में से 35 देशों तक सीमित रही।
  - यह गिरावट सैन्य AI के शासन से संबंधित चुनौतियों को दर्शाती है, जो राज्यों की प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करती हैं।

युद्ध में AI के उपयोग के पक्ष में तर्क

- **सटीकता में वृद्धि और आकस्मिक क्षति में कमी:** AI-सक्षम प्रणालियाँ (जैसे स्वायत्त ड्रोन, स्मार्ट मिसाइलें) वास्तविक समय डेटा विश्लेषण और छवि पहचान का उपयोग कर लक्ष्य पहचान में सुधार करती हैं, जिससे नागरिक हताहतों और अनपेक्षित विनाश में कमी आती है।
- **आधुनिक युद्धक्षेत्रों में तीव्र निर्णय-निर्माण:** AI विशाल युद्धक्षेत्र डेटा (उपग्रह फीड, सेंसर, साइबर इनपुट) को सेकंडों में संसाधित कर सकती है, जिससे उच्च गति वाले युद्ध वातावरण में त्वरित सामरिक निर्णय संभव होते हैं।
- **सैनिकों के जोखिम में कमी:** AI-संचालित मानव रहित प्रणालियों की तैनाती उच्च-जोखिम अभियानों में प्रत्यक्ष मानवीय जोखिम को न्यूनतम करती है।
- **साइबर और सूचना युद्ध क्षमताएँ:** AI वास्तविक समय में मैलवेयर और साइबर खतरों का पता लगाकर साइबर रक्षा को सुदृढ़ करती है तथा आक्रामक साइबर क्षमताओं को भी बढ़ा सकती है।
- **रणनीतिक प्रतिरोध:** उन्नत AI-सक्षम हथियार प्रणालियाँ प्रतिरोध की विश्वसनीयता को बढ़ा सकती हैं, जैसे शीत युद्ध के दौरान तकनीकी श्रेष्ठता ने रणनीतिक संतुलन को प्रभावित किया था।
- **नवयुगीन युद्ध के अनुकूलन:** आधुनिक संघर्षों में बढ़ते हुए *हाइब्रिड* युद्ध शामिल होते हैं, AI सेनाओं को विकसित सुरक्षा वातावरण में तकनीकी रूप से प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है।

विरोध में तर्क

- **नैतिक और आध्यात्मिक चिंताएँ:** स्वायत्त हथियार अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के अंतर्गत मानवता और गरिमा के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं।
- **जवाबदेही:** गलत मृत्यु या युद्ध अपराध की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं है कि किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि वर्तमान ढाँचे (जैसे संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा संधियाँ) मुख्यतः मानव निर्णयकर्ताओं के लिए बनाए गए थे।
- **एल्गोरिथ्मिक त्रुटियों से नागरिक हताहतों का जोखिम:** पक्षपाती डेटा, त्रुटिपूर्ण एल्गोरिथ्म या तकनीकी गड़बड़ी के कारण AI प्रणालियाँ लक्ष्यों की गलत पहचान कर सकती हैं, जिससे अनपेक्षित हानि हो सकती है।
- **साइबर हमलों और हैकिंग की संवेदनशीलता:** AI-आधारित प्रणालियाँ हैक, हेरफेर या धोखा दिया जा सकती हैं, जिससे उन्नत हथियार अपने ही संचालकों के विरुद्ध प्रयोग हो सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी पर निर्भरता और प्रणालीगत विफलताएँ:** AI पर अत्यधिक निर्भरता प्रणालीगत कमजोरियाँ उत्पन्न कर सकती है यदि प्रणालियाँ विफल हों, विद्युत बाधित हो या अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़े।

आगे की राह

- **जिम्मेदार उपयोग का समर्थन:** भारत युद्ध में AI के उत्तरदायी और नैतिक उपयोग का समर्थन करता है, और संयुक्त राष्ट्र में चर्चाओं के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन तथा सार्थक मानवीय नियंत्रण पर बल देता है।
- **LAWS पर तत्काल कानूनी प्रतिबंध का विरोध:** भारत घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों (LAWS) पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि को "असमय" मानता है, क्योंकि परिभाषात्मक स्पष्टता का अभाव है और AI तकनीकें तीव्र गति से विकसित हो रही हैं।
- **नियामक लचीलापन:** AI अनुसंधान एवं विकास में बढ़ते निवेश के साथ भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वैश्विक नियम स्वदेशी तकनीकी विकास में बाधा न डालें।
- **गैर-बाध्यकारी मानक ढाँचे की प्राथमिकता:** भारत जवाबदेही, पारदर्शिता और राज्य की जिम्मेदारी पर केंद्रित सिद्धांत-आधारित, गैर-बाध्यकारी वैश्विक ढाँचे का समर्थन करता है, ताकि बाद में बाध्यकारी व्यवस्था की ओर बढ़ा जा सके।

स्रोत: TH

भारत का ड्रोन पारितंत्र

समाचार में

- भारत ने प्रायोगिक ड्रोन पायलटों से एक सुदृढ़ विनियमित पारितंत्र तक का विकास किया है। फरवरी 2026 तक, **38,500 से अधिक ड्रोन** अद्वितीय पहचान संख्या (UIN) के माध्यम से पंजीकृत किए जा चुके हैं।

ड्रोन पारितंत्र का विकास

- विगत दो दशकों में, ड्रोन तकनीक भारत में प्रायोगिक उपयोग से एक संरचित पारितंत्र में विकसित हुई है, जिसने सार्वजनिक सेवा वितरण, अवसंरचना प्रबंधन, कृषि और राष्ट्रीय सुरक्षा को रूपांतरित किया है।
- ड्रोन तकनीक भारत में कुशल और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा वितरण का एक प्रमुख साधन बन गई है।
- ये शासन में कार्यकुशलता, सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ा रहे हैं।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत सरकार ने उदारीकृत ड्रोन नियम, डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म, कौशल विकास कार्यक्रम और विनिर्माण प्रोत्साहनों जैसी प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से अपनाने की गति तेज़ की है, जिससे ड्रोन सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं का अभिन्न अंग बन गए हैं।
- ड्रोन को **SVAMITVA योजना** (गाँवों का सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण) और **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में एकीकृत किया गया है।

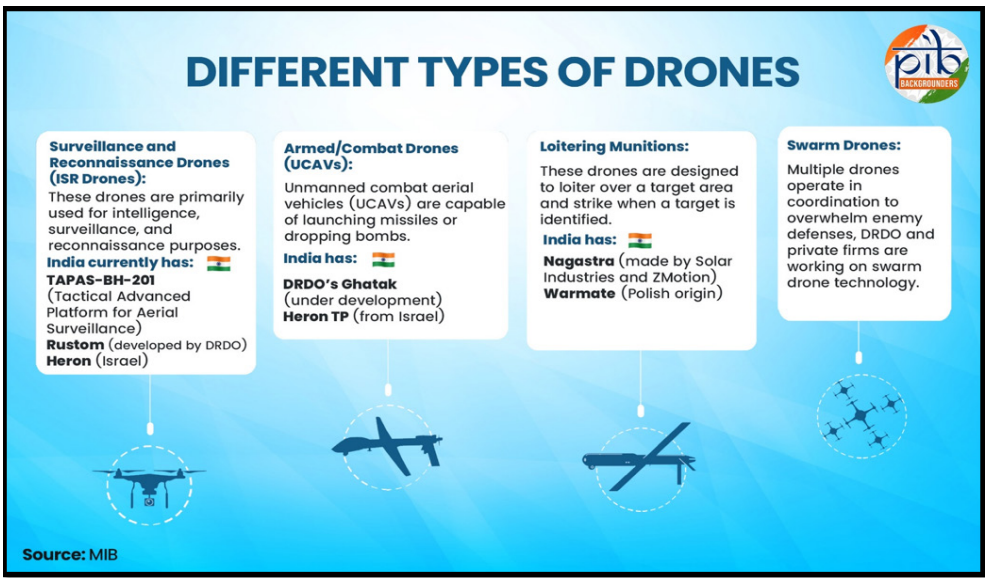

अनुप्रयोग

- **कृषि और किसान सेवाएँ:** भूमि सर्वेक्षण, सटीक कृषि, अवसंरचना निरीक्षण, आपदा प्रबंधन, परिवहन निगरानी और रक्षा में ड्रोन का उपयोग।
  - *नमो ड्रोन दीदी योजना* (नवंबर 2023) महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक कृषि पद्धतियों हेतु ड्रोन उपलब्ध कराने की प्रमुख पहल है।
- **भूमि मानचित्रण:** SVAMITVA योजना (अप्रैल 2020) ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्रों के ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण हेतु शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भूमि विवादों का समाधान और बैंक ऋण तक पहुँच में सुधार करना है।
- **राजमार्ग विकास हेतु हवाई मानचित्रण:** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) सभी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मासिक ड्रोन-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करता है।
- **आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया:** ड्रोन प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत की प्रतिक्रिया क्षमता को बेहतर बना रहे हैं। *NECTAR* ने आपदा स्थितियों के लिए विशेष ड्रोन प्रणाली विकसित की है।
- **रेलवे ड्रोन निगरानी:** रेलवे मंत्रालय ने सभी ज़ोन और मंडलों को रेलवे ट्रैक, पुल और अन्य अवसंरचना की निगरानी एवं रखरखाव हेतु UAV/ड्रोन तैनात करने का निर्देश दिया है।
  - रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने रेल यार्ड, स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा निगरानी के लिए ड्रोन अपनाए हैं।
- **रक्षा में ड्रोन:** ड्रोन भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सीमाओं की निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करने और सटीक हमले करने में सहायक हैं।
- *ऑपरेशन सिंदूर* के दौरान भारतीय ड्रोन और लुटेरिंग म्यूनिशन ने शत्रु लक्ष्यों को सुरक्षित एवं सटीक रूप से नष्ट किया।
- ड्रोन वायु रक्षा प्रणालियों, रडार नेटवर्क और कमांड केंद्रों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण अवसंरचना की रक्षा करते हैं तथा खतरों पर शीघ्र प्रतिक्रिया देते हैं।
- **शासन के लिए लाभ:** ये सार्वजनिक सेवा वितरण में कार्यकुशलता, सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं।

सरकारी कदम और नीतियाँ

- **ड्रोन नियम, 2021 और संशोधन (2022–2023):** अनुमोदन प्रपत्रों को 25 से घटाकर 5 किया गया, शुल्क का युक्तिकरण किया गया, 90% वायु क्षेत्र को ग्रीन ज़ोन घोषित किया गया, पायलट लाइसेंस को रिमोट पायलट प्रमाणपत्र से प्रतिस्थापित किया गया और पासपोर्ट आवश्यकता हटाई गई।
  - **नागरिक ड्रोन संचालन:** 500 किलोग्राम तक वजन वाले ड्रोन के लिए अनुमति दी गई, जिससे वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों का विस्तार हुआ।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI):** ड्रोन और ड्रोन घटकों हेतु ₹120 करोड़ का अनुमोदित प्रावधान। इसका उद्देश्य उच्च-मूल्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- **ड्रोन पर GST:** सितंबर 2025 में ड्रोन पर GST को घटाकर **समान 5%** कर दिया गया। पहले की 18% और 28% की दरें समाप्त कर दी गईं। इस सरलीकृत कर व्यवस्था ने ड्रोन के व्यापक वाणिज्यिक और व्यक्तिगत उपयोग को समर्थन प्रदान किया।
  - **NextGen GST सुधार** ड्रोन पायलट प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त उड़ान और मोशन सिमुलेटर पर भी लागू होता है।
- **डिजिटल स्काई (2018) और eGCA:** ड्रोन पंजीकरण, रिमोट पायलट प्रमाणन, प्रकार प्रमाणन और RPTO प्राधिकरण जैसी नियामक सेवाओं को **डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म** से **eGCA** में स्थानांतरित कर दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त, उड़ान योजना और वायु क्षेत्र मानचित्र जैसी परिचालन सेवाएँ डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म से ही एकीकृत रहती हैं।

- **प्रचार और सहयोग प्लेटफ़ॉर्म: भारत ड्रोन शक्ति, भारत ड्रोन महोत्सव और ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो** जैसे प्लेटफ़ॉर्म *ड्रोन-एज़-ए-सर्विस (DaaS)* स्टार्टअप्स और नए व्यापार मॉडलों को प्रोत्साहित करते हैं।
  - ये स्वदेशी तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं और स्टार्टअप्स, MSMEs, उद्योग तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** DGCA-स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम और **दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन(RPTOs)** प्रमाणित ड्रोन पायलटों के राष्ट्रीय पूल का विस्तार कर रहे हैं।
- **स्वायान** मानव रहित विमान प्रणालियों (Unmanned Aircraft Systems) में मानव संसाधन विकास हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जो प्रशिक्षण और प्रतिभा निर्माण का समर्थन करता है।
- **ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती (NIDAR)** छात्रों और शोधकर्ताओं को संलग्न करता है।
  - यह आपदा प्रबंधन और सटीक कृषि हेतु स्वायत्त ड्रोन को बढ़ावा देता है।
  - इस कार्यक्रम में ₹40 लाख का पुरस्कार कोष है और यह स्टार्टअप इनक्यूबेशन को भी समर्थन प्रदान करता है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत में ड्रोन कृषि, अवसंरचना, आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा में दक्षता, पारदर्शिता एवं लचीलापन सुधारकर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति दे रहे हैं।
- प्रगतिशील नीतियों, वित्तीय प्रोत्साहनों और कौशल विकास पहलों से समर्थित यह क्षेत्र तीव्र गति से विस्तार कर रहा है।
- स्वदेशी विनिर्माण और सरकारी एकीकरण पर बल भारत को भविष्य में मानव रहित हवाई प्रणालियों का वैश्विक नेता बनने की दिशा में अग्रसर करता है।

स्रोत :PIB

संक्षिप्त समाचार

स्नोबॉल अर्थ

संदर्भ

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने स्कॉटलैंड के गारवेलाच द्वीपों पर चट्टानों का अध्ययन किया ताकि *स्नोबॉल अर्थ* काल को समझा जा सके।

स्नोबॉल अर्थ क्या है?

- स्नोबॉल अर्थ उन अवधियों को संदर्भित करता है जब पृथ्वी की सतह लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, जिसमें महासागर और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी शामिल थे। यह मुख्यतः क्रायोजेनियन काल (720-635 मिलियन वर्ष पूर्व) के दौरान हुआ था।
- यह ऐसी प्रतिक्रिया तंत्रों से प्रेरित था जैसे बर्फ की परत बढ़ने से पृथ्वी का *अल्बीडो* (परावर्तन क्षमता) बढ़ना और सौर ऊष्मा का अवशोषण कम होना, जिससे अधिक शीतलन हुआ।
- संभावित कारणों में भूमध्य रेखा के पास महाद्वीपीय विन्यास, ग्रीनहाउस गैसों में कमी और ज्वालामुखीय गतिविधियों के पैटर्न शामिल हैं।

स्रोत: TH

ईरान द्वारा होरमुज़ जलडमरूमध्य बंद

समाचार में

- ईरान ने जिनेवा में परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के दौरान लाइव-फायर अभ्यास के चलते होरमुज़ जलडमरूमध्य के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस जलडमरूमध्य से विश्व के लगभग 20% तेल का परिवहन होता है।

होरमुज़ जलडमरूमध्य के बारे में

- होरमुज़ जलडमरूमध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान व संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है, जो फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी एवं अरब सागर से जोड़ता है।

- इसका सबसे संकरा हिस्सा लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें दोनों दिशाओं में केवल कुछ किलोमीटर चौड़ी नौवहन लेन हैं।
- भारत का लगभग आधा कच्चा तेल और लगभग 60% प्राकृतिक गैस आयात इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है।

क्या आप जानते हैं?

- ईरान ने पहले भी जलडमरूमध्य को बंद करने की चेतावनी दी थी — ईरान-इराक "टैंकर युद्ध" (1980 के दशक) के दौरान एवं 2012 में प्रतिबंधों के प्रत्युत्तर में — लेकिन कभी पूर्ण रूप से बंद नहीं किया।
- हालाँकि सऊदी अरब और यूएई ने जलडमरूमध्य को बायपास करने के लिए पाइपलाइनें विकसित की हैं, लेकिन ये मार्ग कुल तेल परिवहन का केवल सीमित हिस्सा ही वहन कर सकते हैं।

स्रोत: TOI

ओडिशा में FRA सेल्स का बंद होना केंद्र की जाँच को प्रेरित करता है

संदर्भ

- जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर वन अधिकार अधिनियम (FRA) सेल्स को बंद करने के निर्देशों पर जाँच शुरू की है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs) के अधिकारों को कानूनी मान्यता देता है ताकि वे वन संसाधनों का सतत प्रबंधन, संरक्षण एवं उपयोग कर सकें।
- यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य परंपरागत वनवासियों (OTFDs) को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार (CFRs) प्रदान करता है, जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते आए हैं लेकिन जिनके अधिकार कभी औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किए गए।
- **ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकार:**
- वन भूमि और संसाधनों पर दावों की पहचान एवं सत्यापन।
- वन संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण।
- लघु वन उपज (MFP) जैसे बाँस, तेंदू पत्ते, लाख, शहद और मोम तक पहुँच को विनियमित करना।
- **FRA सेल्स की भूमिका:** ये विशेष प्रशासनिक इकाइयाँ FRA के क्रियान्वयन को तीव्र करने हेतु बनाई गई थीं। इनके कार्यों में शामिल हैं:
  - दावा दाखिल करने और सत्यापन में सहायता।
  - अभिलेखों का रखरखाव और शीर्षकों का डिजिटलीकरण।
  - स्थानीय अधिकारियों को तकनीकी और क्षेत्रीय सहयोग प्रदान करना।

स्रोत: TH

VoicERA का शुभारंभ BHASHINI राष्ट्रीय अवसंरचना पर

समाचार में

- **डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC)** के अंतर्गत **डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (DIBD)**, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **VoicERA** का शुभारंभ किया।

VoicERA

- यह एक **ओपन सोर्स, एंड-टू-एंड वॉयस AI स्टैक** है जिसे *BHASHINI राष्ट्रीय भाषा अवसंरचना* पर लागू किया गया है।
- यह बहुभाषी वॉयस और भाषा AI के लिए एक राष्ट्रीय निष्पादन परत स्थापित करता है।
- इसे *ओपन, प्लग्गेबल, इंटरऑपरेबल, क्लाउड-डिप्लॉयबल और ऑन-प्रिमाइस रेडी* रूप में डिज़ाइन किया गया है।
- यह सरकार, अनुसंधान संस्थानों और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में वॉयस सिस्टम्स की सुरक्षित एवं स्केलेबल तैनाती को सक्षम बनाता है।
- यह वॉयस स्टैक को मॉड्यूलर बनाकर प्रयासों की पुनरावृत्ति को कम करता है और *वेंडर लॉक-इन* को समाप्त करता है।

महत्व

- VoicERA का BHASHINI के साथ एकीकरण भारत की राष्ट्रीय भाषा अवसंरचना को **वॉयस-सक्षम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** में परिवर्तित करता है, जो वास्तविक समय वाक्, संवादात्मक AI और जनसंख्या स्तर पर बहुभाषी टेलीफोनी का समर्थन करता है।
- यह सरकारी विभागों को कृषि, शिक्षा, आजीविका, शिकायत निवारण और योजना खोज जैसे क्षेत्रों में वॉयस-आधारित नागरिक सेवाओं को शीघ्रता से लागू करने में सक्षम बनाता है, जिससे समावेशी, सुरक्षित एवं इंटरऑपरेबल सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा मिलता है।

स्रोत: PIB

भारतीय खाद्य निगम (FCI) और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

समाचार में

- **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** और **विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)** ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत भूख से लड़ने हेतु वैश्विक मानवीय अभियानों के समर्थन में चावल की आपूर्ति की जाएगी।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

- इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
- यह संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक खाद्य-सहायता शाखा है और विश्व की सबसे बड़ी मानवीय संस्था है जो भूख से लड़ने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में

- FCI एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना **खाद्य निगम अधिनियम, 1964** के अंतर्गत की गई थी और यह भारत के **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है।
- इसका मूल उद्देश्य खाद्य कमी, विशेषकर गेहूँ, का प्रबंधन करना था, जिसके लिए किसानों को **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** के माध्यम से प्रभावी मूल्य समर्थन प्रदान किया गया।
- यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत खरीद, भंडारण, वितरण और सूखा या बाढ़ जैसी आपात स्थितियों के लिए बफर स्टॉक प्रबंधन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- इसका मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।

स्रोत: PIB

नगरपालिका बॉन्ड्स

समाचार में

- **आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ने हाल ही में भारत के नगरपालिका बॉन्ड बाजार को गंभीर करने हेतु उच्च-स्तरीय परामर्श आयोजित किया। यह शहरी अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है।

नगरपालिका बॉन्ड्स के बारे में

- नगरपालिका बॉन्ड्स विपणन योग्य ऋण साधन हैं जिन्हें **शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)** द्वारा सीधे या

कॉर्पोरेट नगरपालिका संस्थाओं अथवा विशेष प्रयोजन वाहनों जैसे मध्यस्थों के माध्यम से जारी किया जाता है।

- इन्हें प्रथम बार **बेंगलुरु ने 1997 में जारी किया था।**
- ये पूंजी परियोजनाओं (जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज), ऋण पुनर्वित्त और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करते हैं।
- ये **SEBI के नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीकरण विनियम, 2015** द्वारा विनियमित हैं।
- इन पर कर-मुक्त ब्याज मिलता है, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जाता है और वित्तीय विकेंद्रीकरण को समर्थन मिलता है।

स्रोत: AIR

प्रोजेक्ट वॉल्ट

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट का अनावरण किया है, जो एक स्वतंत्र रूप से शासित और संचालित सार्वजनिक-निजी भागीदारी है।

परिचय

- इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक घरेलू भंडार स्थापित करना है।
- इस साझेदारी को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (EXIM) द्वारा 10 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता और अतिरिक्त 2 अरब डॉलर की निजी निधि का समर्थन प्राप्त है।
- यह भंडार निर्माण विदेशी-नियंत्रित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने हेतु *समग्र-सरकार परिवर्तनकारी दृष्टिकोण* का प्रतिनिधित्व करता है।
- प्रोजेक्ट वॉल्ट को घरेलू निर्माताओं के लिए दीर्घकालिक बीमा के रूप में कार्य करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे खनिजों को भौगोलिक प्रतिबंधों के बिना, आपूर्ति उपलब्धता और वाणिज्यिक विचारों के आधार पर प्राप्त कर सकें तथा उन्हें संग्रहीत कर सकें।

महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?

- महत्वपूर्ण खनिज वे तत्व हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों के मूलभूत निर्माण खंड हैं और जिनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का जोखिम रहता है।
- इन खनिजों की उपलब्धता का अभाव या उनका खनन/प्रसंस्करण कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित होना आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और आपूर्ति बाधाओं का कारण बन सकता है।

महत्वपूर्ण खनिजों के अनुप्रयोग

- **स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहलें:** शून्य-उत्सर्जन वाहन, पवन टरबाइन, सौर पैनल आदि।
  - कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, सेलेनियम और वैनाडियम जैसे खनिज बैटरियों, सेमीकंडक्टर एवं सौर पैनलों में प्रयुक्त होते हैं।
- **उन्नत विनिर्माण इनपुट और सामग्री:** रक्षा अनुप्रयोग, स्थायी चुंबक, सिरेमिक।
  - बेरीलियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, टैंटलम जैसे खनिज नई प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में प्रयुक्त होते हैं।
- **प्लैटिनम समूह धातुएँ (PGMs):** चिकित्सा उपकरणों, कैंसर उपचार दवाओं और दंत सामग्री में प्रयुक्त होती हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों की सूची

- विभिन्न देशों की अपनी परिस्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर महत्वपूर्ण खनिजों की अलग-अलग सूचियाँ होती हैं।
- भारत के लिए कुल 30 खनिज सबसे महत्वपूर्ण पाए गए हैं: एंटिमनी, बेरीलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफ्नियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटलम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनाडियम, ज़िरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

स्रोत: TH

भिर्राना स्थल

संदर्भ

- अनुसंधान से संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले की मान्यताओं से कहीं अधिक प्राचीन हो सकती है — केवल कुछ शताब्दियों से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से।

परिचय

- उत्तरी भारत के भिर्राना में मृदा के बर्तनों और पशु अवशेषों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का सुझाव है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष प्राचीन हो सकती है।
- यदि यह पुष्टि होती है, तो इसकी प्रारंभिक शुरुआत मिस्र के पहले फ़राओ के युग से भी पहले की होगी।
- दशकों से इतिहासकारों ने प्राचीन विश्व की महान सभ्यताओं को क्रम में रखा है — पहले मेसोपोटामिया, फिर मिस्र (पिरामिड और फ़राओ के साथ), और इनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता।

सिंधु घाटी सभ्यता

- हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई।
- यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसी कारण इसे *सिंधु घाटी सभ्यता* कहा जाता है।
- अपने उत्कर्ष पर, इसने वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्रों को आच्छादित किया।
- इसे कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ से ताँबे आधारित मिश्रधातुओं से बने अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं।

प्रमुख हड़प्पा स्थल

स्थल	वर्तमान में
• हडप्पा	• पंजाब, पाकिस्तान
• मोहनजोदड़ो	• सिंध, पाकिस्तान
• धौलावीरा	• गुजरात का कच्छ जिला,
• कालीबंगा	• राजस्थान
• लोथल	• गुजरात
• राखीगढ़ी	• हरियाणा
• चन्हूदड़ो	• सिंध, पाकिस्तान
• गँवेरीवाला	• पंजाब, पाकिस्तान
• सुत्कागेंडोर	• बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान
• आलमगीरपुर	• उत्तर प्रदेश

स्रोत: TOI

केरल कैबिनेट द्वारा मूलनिवासी कार्ड जारी करने के विधेयक को स्वीकृति प्रदान

समाचार में

- केरल कैबिनेट ने **मूलनिवासी कार्ड विधेयक** को स्वीकृति दी है, जिसके अंतर्गत निवासियों को सरकारी सेवाओं और सामाजिक उद्देश्यों के लिए एक आधिकारिक दस्तावेज़ प्रदान किया जाएगा।

केरल मूलनिवासी कार्ड विधेयक

- यह राज्य सरकार को मूलनिवासी कार्ड जारी करने की अनुमति देता है, जो सरकारी सेवाओं और अन्य सामाजिक उद्देश्यों तक पहुँच के लिए एक प्रामाणिक दस्तावेज़ होगा।
- यह कार्ड वर्तमान मूलनिवासी प्रमाणपत्र पर आधारित होगा, इसमें फोटो संलग्न होगी और यह स्थायी होगा।
- विधेयक में *मूलनिवासी* को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो केरल में जन्मा हो और जिसने विदेशी नागरिकता ग्रहण न की हो, या ऐसा व्यक्ति जिसका पूर्वज केरल में जन्मा हो तथा जिसने भारतीय नागरिकता बनाए रखी हो।
- वे लोग भी पात्र होंगे जो आजीविका कारणों से केरल से बाहर जन्मे हों लेकिन उनके माता-पिता केरलवासी हों।
- जो लोग कार्ड प्राप्त करने के बाद नागरिकता त्याग देंगे, उनका कार्ड अमान्य कर दिया जाएगा।

स्रोत: TH